आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल।
आर0ई0 वाद सं0– 24/2018–19
आवेदिका– चम्पा टुडू
बनाम
विपक्षी– मुन्तजीर खां उर्फ मुन्ना खान
आदेश

29.7.19 आवेदिका चम्पा टुडू, पति स्व0 चुड़का मुर्मू, सा0–मोतीझरना, पो0–महराजपुर, थाना– तालझारी जिला–साहेबगंज को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किये है। आवेदिका के आवेदन पत्र के अवलोकन से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवही प्रारम्भ की गई, तथा आवेदन में वर्णित बिन्दओं पर जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, तालझारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, तथा उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर विपक्षी से कारण पृच्छा की मांग की गई।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
मोतीझरना	27	226	12 कट्ठा

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। विपक्षी उपस्थित। आवेदिका अनुपस्थित। विधिवत नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 26.07.2018 के बाद से आज तक आवेदिका अनुपस्थित। फलस्वरुप विपक्षी को एक पक्षीय सुना। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा–मोतीझरना के जमाबंदी न0 27 दाग न0 226 रकवा 12 कट्ठा जमीन बसौड़ी के उद्देश्य से दानदाता चम्पा टुडू, पति स्व0 चुड़का मुर्मू, सा0–मोतीझरना से प्राप्त किये है। दानदाता ने उक्त वर्णित जमीन का बाजार मूल्य 8000/– रुपये प्रति कट्ठा की दर से 96000/– हजार रुपये प्राप्त करने के पश्चात विपक्षी को स्वामित्व एवं अधिकार में सौंप दिए है।

अतः विपक्षी के विज्ञ अधिकवक्ता ने आवेदिका के द्वारा दायर उच्छेदी वाद आवेदन को खारीज करने का अनुरोध किये है।

आवेदिका ने दिनांक 26.07.2018 को उपस्थित होकर अपने विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदन दाखिल कर कहा है कि विपक्षी से जान पहचान रहने के कारण विपक्षी आवेदिका को कहा कि टी0बी0 मरीज के लिए मुफ्त में सरकारी दवा दिला देगें, कहकर आवेदिका से कई सादे कागज व कुछ छपा (लिखा हुआ) पर टीप निशान ले लिया है। विपक्षी ने गैर कानुनी रुप से आवेदिका की जमीन पर 10–12 पीलर गाडा है और कहता है कि यह जमीन तुम मुझे दे दी है। आवेदिका ने कभी भी कोई जमीन विपक्षी को नही दिये है। अगर विपक्षी कोई कागजात दिखाता है तो वह फर्जी एवं जाली है। विपक्षीगण उदंड तथा असमाजिक तत्वों के साठ–गांठ में रहने वाला व्यक्ति है। उक्त जमीन खाली करने के लिए कहने पर तरह तरह की धमकी देता है तथा कहता है कि उक्त जमीन में भुल कर भी मत आना नही तो मर्डर कर देगें।

अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने पत्र सं0 653/रा0, दिनांक 28.12.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा मोतीझरना थाना न0 09 बंगला महराजपुर के अन्तर्गत प्रधानी एवं अहस्तान्तरणीय मौजा है। उक्त मौजा मोतीझरना ज0न0 27 दाग न0 226 रकवा

Scanned with CamScanner

नं0–162

बनाम

02–11–08 धूर जमीन नकल खतियान में बडा लखन मरांडी वल्द लेदमा वो छोटा लखन मरांडी पे0'मुढा मरांडी सव0–देह के नाम से दर्ज है।

जाँच के क्रम में विपक्षीगण के द्वारा उक्त मौजा के ज0न0 27 दाग न0 226/अंश रकवा 00–12–00 धूर जमीन भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र संख्या 04AA282483 दिनांक 16.07.2013 का दान पत्र की छाया प्रतिप प्रस्तुत किया गया, जिसमें मौजा के प्रधान बाले बिटी सोरेन, माता हेम्ब्रम, बबलु मरांडी एवं बुधन मुर्मू सा0–मोतीझरना का हस्ताक्षर अंकित है। उक्त दान पत्र में आवेदिका का पास्पोर्ट साईज फोटो जिसे संतलाल ठाकुर अधिवक्ता, साहेबगंज नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित है।

उक्त दान पत्र में 8000/– रुपये प्रति कट्ठा के दर से कुल 96000/–हजार रुपये अंकित है। पूछ–ताछ के क्रम में आवेदिका को खतियानी रैयत का वंशज बताया गया है। जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त जमीन पर विपक्षी के द्वारा पीलर तैयार किया झोपडी है। खतियानी रैयत के साथ विपक्षी का कोई संबंध नही है। उक्त जमीन आदिवासी (संताल) जाति की है। इस प्रकार दान पत्र से देना या प्राप्त करना अवैध है। जाँच प्रतिवेदन के साथ दान पत्र की छाया प्रति प्राप्त हुआ है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के सुनने एवं आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन एवं अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्णित जमीन का अवैध रुप से हस्तांतरण संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धार 20 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक दान करने या स्वीकार करने का अधिकार Record of Rights में दर्ज नही हो, तब तक किसी भी भूमि को (जो संथाल परगना के भौगोलिक क्षेत्र में हो) हस्तांतरण दान के माध्यम से नही ली जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यकरुपेन विचारोपरांत विपक्षी मुनतजीर खाँ उर्फ मुन्ना खान को उक्त वर्णित जमीन उच्छेद किया जाात है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेंजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner